

प्रेषण

संत्रीय लघिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
संत्रीय कार्यालय बाराणसी।

सेवा मे

प्रबन्धक
इलामाल - संकाशमी बाजारोल्लखूल
फैजाबाद

पत्रांक - आई०ग्र०/मान्यता/ १३७२-

दिनांक - १५/१/ 2013
दिव्य :- इष्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध मे।
महोत्प

शासन ने सान्यता राखिति सब समाजि, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्थानि के संपरन्त इष्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा-७क(क) के अनुसार आपके विद्यालय को कालक / बालकों विद्यालय के रूप मे परिषद की वर्ष- 2014 की इष्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग / विषयों मे सामान्य व विशेष प्रतिक्रिया के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय मे गावका इष्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा-७क(क) के प्राविद्यानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इष्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा-७क(क) के प्राविद्यानों के अनुसार इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की उद्दल पान्यता को ११वीं कक्षा संवालित करने के मुद्दे शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, विद्यालय तथा सामाजिक शिक्षा सान्यता, प्रयोगशाला, भूमि / सख्त, मुख्यकालय, प्राकृत जीव, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय नियंत्रक के माध्यम से परिषद को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो दी तर्ह के अन्दर ही सम्भव हाल जिला विद्यालय नियंत्रक एवं परिषद को ११वीं कक्षा संवालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड ढाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदलता पान्यता रखत समाज समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र ने अकित विषयों को अध्यापनावधि परिषद द्वारा नियमित व्यूक्ताव योग्यताओंसे पात्र व्यक्ति को जारी पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक व्याप्त प्रवानावधि/प्रवानालाभ की विधुक्ति की जाए। यह प्रतिवर्ष के दस इष्टरमीडिएट वर्षी नवीन मान्यता पर ही प्रवानी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदलता पान्यता की नवीन कक्षावधि संवालित करने का सम्मत व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा लाये यहां विषय जावेगा तथा इष्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा-७क(क) को सम्मत प्राविद्यान पठावत लाये होंगे। इस नियमित कोई अनुसार नहीं रहेगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय को प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ नसिपद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग)

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग

अनिवार्य विषय

दैकलियक विषय

इण्टर मानविकी वर्ग नवीन

हिन्दी

अंग्रेजी, चट्ठू अरबी, इतिहास, भूगोल,
अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कला,
नागरिकशास्त्र

इण्टर वैज्ञानिक वर्ग

ला० हिन्दी

गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,
जीवविज्ञान

इण्टर वाणिज्य वर्ग

हिन्दी

बहीखाता तथा लेखाशास्त्र, व्यापारिक
संगठन तथा पत्र व्यवहार, गणित तथा
प्रारम्भिक सांख्यिकी, औद्योगिक संगठन,
अधिकोषण तत्व

टिप्पणी :- उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(ज़.) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

३१

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्

क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

प्रिंटिंग— 2012

पृष्ठांकन सं०— आई०वी०/मान्यता/

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद
3. इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग वाराणसी को अभिलेख हेतु।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,